न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 01/2012

1. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री शान्तिलाल, जाति – नाहर, निवासी – खरवा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी श्री सुनील कुमार बाफणा निवासी ग्राम नेवरिया जिला चित्तौड।
3. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री केसरमल बाफणा निवासी ग्राम नेवरिया जिला चित्तौड।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री मदन बालिग पुत्र बाबु जाति धानका निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत कानाखेडा, पंचायत समिति मसूदा।

—— **अप्रार्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– निर्णय :– दिनांक 21.06.2016

उपस्थित :–

1. श्री पंकज गादिया वकील अपिलार्थीगण
2. सरपंच ग्राम पंचायत कानाखेडा

अपीलर्थीगण ने इस अपील में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम गोपालसागर पटवार क्षेत्र कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी सं0 2065 से 2068 के खाता सं0 93 के कुल खसरा किता 6 रकबा 12–08–10 बीघा भूमि में प्रत्यर्थी सं0 1 काबिजकाश्त खातेदार था, उसने इस सम्पूर्ण अराजी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाकर बजरिये तीन पंजीकृत बेचाननामों के दिनांक 10.10.2011 को अपिलार्थीगण को विक्रय कर भौतिक रूप से मौके पर कब्जा अपिलार्थीगण को संभला दिया था। इन बेचाननामों पर पटवारी हल्का कानाखेडा ने अपिलार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण सं0 320 दर्ज कर दिया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक खरवा ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.10.2011 को अंकित कर दी। इस विधिसम्मत राजस्व अभिलेख को प्रत्यर्थी सं0 3 ने बिना अपिलार्थीगण को सुने व सूचित किये प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 05.11.2011 से खारिज कर दिया है जिसके कारण प्रत्यर्थी सं0 1 का नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ववत दर्ज चला आ रहा है वह कभी भी इसका दुरूपयोग कर सकता है अतः निम्न आधार पर यह अपील पेश की जा रही है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं0 320 को प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 05.11.2011 से पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी एवं भौतिक साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत निरस्त किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिंद्धान्तानुसार अपिलार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों के उपलब्ध रहते नामान्तकरण सं0 320 को खारिज करने का प्रस्ताव लेने से पूर्व अपिलार्थी को नोटिस देकर सुनना चाहिये था लेकिन न तो उन्हे सुना गया न ही उन्हें सूचित किया गया। धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी सं0 3 को विक्रय पत्र की प्रति प्राप्त हो जाने पर वह अपिलार्थीगण के पक्ष में नामन्तकरण सं0 320 को सर्वथा कानून विरूद्ध खारिज किया गया है। यह खारिज़ी आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है अतः इसे अपास्त कराने के आदेश प्रदान कराते हुए अपिलार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करवाया जावे।

अपिलार्थीगण ने यह अपील दिनांक 09.02.2012 को प्रस्तुत की है.

इसके साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपिलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.2011 के विरूद्ध एक अपील इस न्यायालय में पेश की है जो स्वीकार योग्य है। अपिलार्थीगण ग्रामीण परिवेश से है अतः वह राजस्व अभिलेख से अनभिज्ञ है। अपिलार्थीगण की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने उनके पक्ष में दर्ज नामान्तकरण को खारिज किया गया है जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 25.11.2011 को इसकी प्रमाणित प्रति लेकर पढे जाने पर हुई। इससे पूर्व प्रत्यर्थी सं0 3 ने अपिलार्थीगण को सूचित नहीं किया था। कानूनन प्रकरण का निर्णय मियाद जैसे तकनीकी बिन्दू की अपेक्षा गुणावगुण पर किया जाता है इसे दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को जो स्वभाविक एवं अपिलार्थीगण के नियन्त्रण से परे रहा है क्षमा योग्य है। अतः विलम्ब के लिए क्षमा कराते हुए अपील अपिलार्थी अभिलेख पर ली जावे तथा गुणावगुण पर तय की जावे।

वकील अपिलार्थी अपिलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सं0 3 आज न्याय आपके द्वार कैम्प कानाखेडा में उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। वकील अपिलार्थीगण के तर्क रहे कि उसने नामान्तकरण सं0 320 में प्रश्नगत अराजी को इसमें मौजूद खातेदार मदन वल्द बाबू कौम धानका निवासी ग्राम खरवा से खरीद की है। वह सबकी जानकारी में खुलेआम इसमें खातेदार होकर काबिज काश्त रहा है और उसने नियमानुसार सक्षमाधिकारी से प्रश्नगत भूमियों को औद्योगिक परियोजनार्थ संपरिवर्तित करवा कर अपिलार्थीगण को बिल

एवज प्रतिफल विक्रय कर भौतिक रूप से मौके पर भूमि का कब्जा संभलाया है। इसके विपरीत अपिलार्थीगण के साधिकार नामान्तकरण सं0 320 में वर्णित प्रश्नगत भूमि में काबिज रहते तथा उनके पक्ष में विक्रय पत्रों के मौजूद रहते बिना अपिलार्थीगण को सूचित किये तथा सुने प्रत्यर्थी सं0 3 ने दिनांक 05.11.2011 को प्रस्ताव सं0 5 से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण सं0 320 को निरस्त किया है जो सर्वथा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के विपरीत होने अभिलेख से अपास्त योग्य है अतः उसे अपास्त किया जावे तथा अपिलार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करवाने के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रत्यर्थी सं0 3 व उपसरपंच ग्राम पंचायत कानाखेडा तथा वार्ड पंचगणों एवं ग्रामवासियान कानाखेडा, गोपालसागर, कुण्डिया की ओर से प्रकरण में जलसे आम में यह स्वीकार किया गया और एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई है कि अपिलार्थीगण द्वारा खाता सं0 93 के किता 6 रकबा 12–08–10 बीघा भूमि खरीदी गई है। वही इस भूमि पर काबिजकाश्त खातेदार है और उसके द्वारा बेचने दिवस से क्रेतागण अर्थात् अपिलार्थीगण काबिज उपभोग में है अतः क्रेतागण/अपिलार्थीगण के नाम यह भूमि लगा दी जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में तहसीलदार मसूदा से अपेक्षित दस्तावेज तलब करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती अतः आदेश तलबी के आदेश अपास्त किये जाते है।

उभयपक्षान के कथन के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपिलार्थीगण को नामान्तकरण सं0 320 की प्रश्नगत भूमि ग्राम गोपालपुरा की जमाबंदी सं0 2065 से 2068 के खाता सं0 93 में खातेदार श्री मदन पुत्र बाबू कौम धानका निवासी खरवा ने विक्रय की है। इसमे नामान्तकरण सं0 319 दिनांक 07–10–11 से संपरिवर्तन किये जाने का इन्द्राज है। खातेदार मदन इसमें नामान्तकरण सं0 271 दिनांक 08–04–2008 से आया है जिसकी प्रति अभिलेख पर है। मैनें प्रकरण में ध्यानपूर्वक मंथन करने पर पाया कि प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 05–11–2005 जिस प्रकार लिया गया है इसका क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय नहीं बनता। श्री मदन की खातेदारी पर कोई आपत्ति थी तो उन्हें नामान्तकरण सं0 271 के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी। विक्रेता मदन प्रश्नगत अराजी में विधिक रूप से खातेदार था और उसने अपने अधिकार बिल एवज प्रतिफल अपिलार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अन्तरित का दिये है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मार्क A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अपिलार्थीगण पर प्रभावी नहीं है।

प्रकरण में विस्तार से विवेचन करने पर मैं इस निष्कर्ष को पाता हूं कि नामान्तकरण सं0 320 प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 05–11–2011 से सर्वथा विधि विरूद्ध खारिज किया गया है जो अभिलेख पर रहने योग्य नहीं है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जो प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 05–11–2011 के संदर्भ से नामान्तकरण सं0 320 को खारिज करने का पारित किया गया है उसे अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मसूदा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ग्राम गोपालसागर पटवार क्षेत्र कानाखेडा तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता सं0 93 की अराजी खसरा नं0 2275, 2276, 2293, 2294, 2295, 2296 कुल किता 6 रकबा 12–08–10 में खातेदार प्रत्यर्थी सं0 1 मदन वल्द बाबू धानका के स्थान पर अपिलार्थीगण श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी शांतीलाल जाति नाहर निवासी खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर व श्रीमती सुशीला पत्नी सुनील कुमार बाफना व सुनील कुमार पुत्र केसरीमल बाफना निवासी ग्राम नेवरिया जिला चित्तौडगढ के नामान्तरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल करावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम कानाखेडा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: